

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 जनवरी 2018—पौष 11, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 1-04 / 2017 / एक(1) भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2018

भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आबंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 2 में,-

- (एक) मद "ग्यारह-वाणिज्य, उद्योग और रोजगार" के स्थान पर, मद "ग्यारह-उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन" स्थापित किया जाए;
- (दो) मद "बयालीस-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल" के स्थान पर, मद "बयालीस-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार" स्थापित किया जाए।

2. अनुसूची में,—

(एक) विद्यमान शीर्षक "ग्यारह-वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग" के स्थान पर, शीर्षक "ग्यारह-उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग" स्थापित किया जाए;

(दो) शीर्षक "ग्यारह-उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग" के अधीन,—

(क) भाग (अ) में,—

(1) अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"1. व्यापार";

(2) अनुक्रमांक 22-आ, 22-इ, 22-ई, 22-उ, 22-ऊ, 22-ए, 22-ऐ और 22-ओ एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(ख) भाग (इ) में, अनुक्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाए;

(ग) भाग (ऊ) में, अनुक्रमांक 8, 9 और 10 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(तीन) विद्यमान शीर्षक "बयालीस-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग" के स्थान पर, शीर्षक "बयालीस-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार" स्थापित किया जाए;

(चार) शीर्षक "बयालीस-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार" के अधीन,—

(क) भाग (अ) में, अनुक्रमांक 9 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

"10. जनशक्ति सर्वेक्षण.

11. जनशक्ति नियोजन.

12. जनशक्ति विकास कार्यक्रम.

13. राज्य के जनशक्ति संसाधनों एवं रोजगार की संभावनाओं का निर्धारण करते हुए जनशक्ति तथा रोजगार से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण.

14. रोजगार कार्यालय एवं रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय का रोजगार वाला भाग.

15. जनशक्ति एवं रोजगार आवश्यकताओं पर संव्यवहार करने वाले विभागों के कार्यों का समन्वय.

16. विद्यमान जनशक्ति के बेहतर उपयोग के लिए विशेष रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों तथा स्कीमों का नियंत्रण एवं समन्वय.

17. रोजगार एवं जनशक्ति से संबंधित आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण, राज्य के जनशक्ति संसाधनों एवं रोजगार की संभावनाओं का आंकलन.”;
- (ख) भाग (इ) में, अनुक्रमांक 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाएं, अर्थात् :-
 “6. रोजगार संचालनालय, मध्यप्रदेश;”;
- (ग) भाग (उ) में, अनुक्रमांक 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाएं, अर्थात्,-
 “4. मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निधि”
- (घ) भाग (ऊ) में, अनुक्रमांक 10 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:-
 “11. मध्यप्रदेश रोजगार (राजपत्रित) सेवा.
 12. मध्यप्रदेश रोजगार (अराजपत्रित) सेवा.
 13. मध्यप्रदेश रोजगार (चतुर्थ श्रेणी) सेवा।” ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 के. के. कातिया, अपर सचिव.